10वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना
Notice for
10th Annual General Meeting

गुरुवार, 27 जून, 2019 पूर्वाह्न 10.00 बजे
Thursday, June 27, 2019, 10.00 A.M.

सभास्थल / at

भाषा भवन सभागार, राष्ट्रीय पुस्तकालय, बेलवेडियर रोड
अलीपुर, कोलकाता - 700 027

Bhasha Bhawan Auditorium, National Library, Belvedere Road,
Alipore, Kolkata - 700 027

युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया
प्रधान कार्यालयः युनाइटेड टॉवर
11, हेमंत बसु सरणी, कोलकाता - 700 001

UNITED BANK OF INDIA
Head Office: United Tower
11, Hemanta Basu Sarani, Kolkata - 700001

सामग्री

सूचना 1
टिप्पणियाँ 4
व्याख्यात्मक विवरण 9

CONTENTS

Notice 1
Notes 4
Explanatory Statement 9

सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया (शेयर और बैठक) विनियम, 2010 के अनुसरण में, युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया के शेयरधारकों की 10वीं वार्षिक आम बैठक गुरुवार, 27 जून, 2019 को पूर्वाहन 10.00 बजे भाषा भवन सभागार, राष्ट्रीय पुस्तकालय, वेलविडियर रोड, कोलकाता-700027 में निम्नलिखित व्यवसाय चलाने हेतु आयोजित की जाएगी:

सामान्य व्यवसाय:

मद सं. 1: 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के तुलन पत्र, लाभ एवं हानि खाते का अनुमोदन और अंगीकार करना, खाते और तुलनपत्र पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट और खाते में शामिल उक्त अवधि के लिए निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तुत बैंक के कार्य और क्रियाकलाप पर रिपोर्ट की चर्चा करना।

विशेष व्यवसाय:

मद सं. 2: इक्विटी पूंजी जुटाना

निम्नलिखित संकल्प को एक विशेष संकल्प के रूप में, अगर उचित समझा जाए, तो विचार करना और पारित करना:

"**संकल्प किया गया कि,** बैंकिग कंपनी अधिनियम (उपक्रमों का अर्जन एंव अंतरण) अधिनियम, 1970 (अधिनियम), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970, (योजना) बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949, (बैंकिग विनियम अधिनियम) युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया (शेयर और बैठक) विनियम, 2010, (बैंक विनियम), जैसा संशोधित भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (जारी पूंजी और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2018, (सेबी आईसीडीआर विनियम), विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा), विदेशी विनिमय प्रबंधन (भारत के बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा अंतरण अथवा जारी प्रतिभूति) विनियम, 2017, (इसके संबंध में फिलहाल के लिए प्रयोज्य किसी प्रकार के सांविधिक संशोधन अथवा आशोधन अथवा पुर्नप्रवर्तन समेत) और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण आवश्यकताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015, (सेबी सूचीकरण विनियम) तथा न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारण को प्राप्त करने के संबंध में सेबी परिपत्र सं. सीआईआर/सीएफडी/सीएमडी/14/2015 दिनांक 30.11.2015, एवं एसईबीआई/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/सीआईआर/पी/43/2018 दिनांक 22.02.2018 के आलोक में 13 मई, 2019 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में दिए गए अनुमोदन और भारत सरकार (जीओआई) के अनुमोदन के शर्ताधीन, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी), भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), स्टॉक एक्सचेंज जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं, और अन्य सभी समुचित सांविधिक, सरकारी, और अन्य प्राधिकारियों तथा इसके संबंध में प्रयोज्य विभागों और ऐसे अन्य अनुमोदन, सहमति, अनुमति और मंजूरी, जैसा आवश्यक है, उक्त अनुमोदन, सहमति, अनुमति तथा मंजूरी स्वीकृत करते समय निर्धारित अथवा लागू शर्तें और संशोधन और जिस पर बैंक के निदेशक मंडल (इसके आगे इसे बोर्ड के रूप में संदर्भित किया गया जिसमें बोर्ड द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करने हेतु एक प्राधिकृत समिति अथवा कार्यपालक भी शामिल) सहमत हो, क्वालिफाइड इंस्टिट्यूशनल प्लेसमेंट (क्यूआईपी) के तहत क्वालिफाइड इंस्टिट्यूशनल बायर्स (क्यूआईबीएस) के अंतर्गत क्वालिफाइड इंस्टिट्यूशनल बायर्स (क्यूआईबीएस) को एक अथवा अधिक हिस्सो में रु.1500 करोड़ तक कुल राशि के प्रत्येक रु.10/- के अंकित मूल्य के इक्विटी शेयर के सृजन, प्रस्ताव, निर्गत और आवंटन, सेबी आईसीडीआर विनियम के अध्याय VI के प्रावधानों के अनुसरण में अथवा पब्लिक इश्यु के माध्यम से, सेबी आईसीडीआर विनियम के अनुसरण में राइट्स इश्यु अथवा सेबी परिपत्र सं. सीआईआर/सीएफडी/सीएमडी/14/2015 दिनांक 30.11.2015 और एसईबीआई/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/सीआईआर/पी 43/2018 दिनांक 22.02.2018 के तहत उल्लिखित पूंजी निर्गम के किसी अन्य रुपों में, प्लेसमेंट दस्तावेज समेत या बगैर और/अथवा निर्धारित किसी अन्य दस्तावेज/लेख/परिपत्र/ज्ञापन, बोर्ड द्वारा निर्धारित ऐसे शर्तों और प्रीमियम समेत मूल्य में, समूचित समय पर नियुक्त और/अथवा उक्त निर्गम के संबंध में बैंक द्वारा नियुक्त किए जानेवाले मर्चेंट बैंकर/परामर्शदाता/मध्यस्थ के परामर्श से और बोर्ड/समिति द्वारा निर्धारित शर्तों और बोर्ड/समिति द्वारा अपने विवेकाधिकार के अन्तर्गत सभी विषयों में निर्णय लेने के लिए शेयरधारकों की सहमति ली गई।"

"**पुन: संकल्प किया गया कि**, निदेशक मंडल एतद् द्वारा जहां आवश्यक हो मर्चेंट बैंकरों और/अथवा हामीदारों और/अथवा अन्य सलाहकारों

अथवा अन्य से परामर्श करके, अद्यतन नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार एवं ऐसे में जैसा उचित समझा जाए, निर्गम की शर्तें, जैसा कि बोर्ड अपने पूर्ण विवेक के अनुसार उक्त कानून, नियम, विनियम, सेवी आईसीडीआर विनियम समेत, दिशा निर्देश, अधिसूचना, और प्रयोज्य निर्देशों से परामर्श करके एक अथवा अधिक पूंजी निर्गम का मूल्य निर्धारित करने के लिए प्राधिकृत है।"

"**पुनः संकल्प किया गया कि,** सेबी आईसीडीआर विनियम के अध्याय VI के अनुसरण में क्वालिफाइड इंस्टिट्यूशनल प्लेसमेंट के मामले में -

क. सेबी आईसीडीआर विनियम के अध्याय VI के अनुसरण में क्वालिफाइड इंस्टिट्यूशनल बायर्स को प्रतिभूतियों का आवंटन होगा, उक्त प्रतिभूतियां पूर्ण रूप से प्रदत्त होगी और उक्त प्रतिभूतियों का आवंटन इस संकल्प की तारीख से 365 दिनों के भीतर पूरा किया जाएगा।

ख. उक्त सेबी आईसीडीआर विनियम के विनियम 176(1) के प्रावधान के अनुसरण में शेयरों को सेबी आईसीडीआर विनियम के अनुसार उपर्युक्त न्यूनतम मूल्य पर पांच प्रतिशत तक बट्टे में प्रस्ताव करने के लिए बैंक प्राधिकृत है।

ग. प्रतिभूतियों का न्यूनतम मूल्य निर्धारण के लिए सगंत तारीख सेबी आईसीडीआर विनियम के अनुसार किया जाएगा।"

"**पुनः संकल्प किया गया कि**, निदेशक मंडल/समिति एवं बैंक द्वारा प्रदत्त अन्य कंपनी लाभ, यदि कोई हो, जो शेयरधारकों को उपलब्ध कराया गया है एतद् द्वारा किसी प्रस्ताव में किसी प्रकार के संशोधन को स्वीकार करने के लिए जैसे कि भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक/भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड /स्टॉक एक्सचेंज, अथवा ऐसे समुचित प्राधिकारी अपने अनुमोदन, सहमति, अनुमति और उक्त निर्गत के लिए स्वीकृति, आवंटन और सूचीकरण के लिए और बोर्ड की सहमति से प्राधिकृत होगा।"

"**पुनः संकल्प किया गया कि**, एनआरआई, एफआईआई और/अथवा अन्य योग्य विदेशी निवेशकों, जैसे प्रयोज्य, फेमा के तहत आरबीआई के अनुमोदन के शर्ताधीन और उक्त अधिनियम के अंतर्गत समग्र सीमा के भीतर नए इक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियां, यदि हो, का निर्गम और आवंटन होगा।"

"**पुनः संकल्प किया गया कि**, जारी किए जाने वाले नए इक्विटी शेयर संशोधित युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया (शेयर और बैठक) विनियम, 2010 के शर्ताधीन होगा और बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के साथ लाभांश समेत सभी संबंध में समरूप के लिए योग्य होगा जो कि उक्त घोषणा के समय प्रयोज्य सांविधिक दिशानिर्देश के अनुसार होगा।"

"**पुनः संकल्प किया गया कि**, बोर्ड को एतद् द्वारा मर्चेंट बैंकरों, बैंकर्स, हामीदारों, डिपाजिटॉरी, और सभी एजेंसियों/मध्यस्थों समेत जो उक्त इक्विटी शेयरों/ प्रतिभूतियों के प्रस्ताव में शामिल हैं, सभी व्यवस्था, करार, ज्ञापन, दस्तावेज आदि करने और उक्त सभी संस्थानों और एजेंसियों को कमीशन, ब्रोक्ररेज, शुल्क अथवा अन्य के द्वारा पारिश्रमिक देने के लिए प्राधिकृत किया गया है।"

"**पुनः संकल्प किया गया कि**, इस संकल्प को लागू करने के लिए बोर्ड अपने पूर्ण विवेक से मर्चेंट बैंकरों, हामीदारों, सलाहकारों और/अथवा बैंक द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्तियों/मध्यस्थों से परामर्श करके अथवा बिना परामर्श से, निर्गम की शर्तें, निवेशक वर्ग समेत जिन्हें शेयर/प्रतिभूतियां जिसे प्रत्येक चरण में आवंटित किया जाना है, निर्गम मूल्य (प्रीमियम समेत, अगर है, तो) अंकित मूल्य, निर्गम/रुपांतरण/वारंट का प्रयोग/प्रतिभूतियों का विमोचन, ब्याज दर, विमोचन अवधि, इक्विटी शेयरों/अधिमान्य शेयरों/परिवर्तनीय प्रतिभूतियां की संख्या अथवा रुपांतरण अथवा विमोचन अथवा प्रतिभूतियों के रद्द करने, मूल्य, निर्गम पर कटौती अथवा प्रीमियम/प्रतिभूतियों का रुपांतरण, ब्याज दर, रुपांतरण की अवधि, रिकार्ड तारीख का निर्धारण अथवा खाता बंदी और संबंधित अथवा अनुषंगी विषय, भारत में और/अथवा विदेश में एक से अधिक स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीबद्ध अथवा किसी निर्गम के प्रयोज्य कानून, नियम एवं विनियम के तहत अनुमत असूचीबद्ध शेयरों/प्रतिभूतियों का निपटान करने के लिए बोर्ड जो उचित समझेगा, उसके लिए प्राधिकार होगा।"

"**पुनः संकल्प किया गया कि**, इक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों के आवंटन अथवा किसी निर्गम को प्रभावी करने के उद्देश्य से बोर्ड को एतद् द्वारा अपने पूर्णविवेक से सार्वजनिक प्रस्ताव समेत निवेशक वर्ग जिन्हें प्रतिभूतियां आवंटित किया जाना है, प्रत्येक चरण में आवंटित किए जानेवाले शेयरों/प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम मूल्य, प्रिमीयम राशि और उक्त सभी कार्य को करने के लिए ऐसे विलेख, दस्तावेज और करार, बोर्ड अपने पूर्णविवेक से, जैसा उचित, सटीक और उपयुक्त समझे और किसी प्रश्न के उत्तर के लिए निदेश अथवा अनुदेश देने, सार्वजनिक प्रस्ताव के संबंध में किसी प्रकार की असुविधा और संदेह उत्पन्न होने के मामले में, निर्गम, निर्गम प्राप्तियों के प्रयोग एवं आवंटन, उक्त संशोधन को प्रभावी बनाने एवं स्वीकार करने, शर्तों के संबंध में परिवर्तन, संशोधन, जोड़ने घटाने, बोर्ड अपने पूर्णविवेक से जैसा उचित और सटीक समझे, बैंक के पूर्ण

हित में, सदस्यों के पुनः अनुमोदन अथवा प्राधिकार के बगैर, कि शेयरधारकों द्वारा उक्त संबंध में दिए गए अनुमोदन और संकल्प के प्राधिकार के अनुसार, और बैंक को दी गई किसी प्रकार की शक्ति का प्रयोग करते हुए निदेशक मंडल द्वारा उक्त संकल्प के संदर्भ में प्राधिकृत किया गया है।"

"**पुनः संकल्प किया गया कि,** बोर्ड को एतद् द्वारा प्रबंध निदेशक एवं सीईओ और/अथवा कार्यपालक निदेशक (कों) उपर्युक्त संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए सौंपी गई किसी प्रकार अथवा सभी प्रकार की शक्ति का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया गया।"

कृते **युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया**
निदेशक मंडल के आदेशानुसार

ह/-
सुष्मिता मजुमदार
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

दिनांकः 13 मई, 2019
स्थानः कोलकाता

टिप्पणियां:

1. **बैठक में मद सं. 2 पर व्यवसाय से संबंधित सभी तथ्यों का समाधान करने हेतु व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संग्लग्न है।**

2. **प्रतिनिधि की नियुक्ति**

   बैंक विनियम के विनियमन 60(iii) के अनुसार एक शेयरधारक जो बैठक में उपस्थित होने एवं वोट देने का हकदार है एवं अपने बदले उपस्थित होने एवं मत देने के लिए प्रतिनिधि नियुक्त करने का भी उसे हक है तथा ऐसे प्रतिनिधि को बैंक का शेयरधारक होने की आवश्यकता नहीं है।

   बैंक विनियम के विनियमन 62(ii) के अनुसार प्रतिनिधि फार्म को प्रभावी रखने के लिए वह बैंक के **शेयर विभाग एवं निवेशक शिकायत कक्ष**, चौथा तल, प्रधान कार्यालय, हेमन्त बसु सरणी, कोलकाता-700001 में बैठक की तारीख से कम से कम चार कार्य दिवस पहले अर्थात् **गुरुवार, 20 जून, 2019** को कारोबार समय की समाप्ति से पहले तक अवश्य प्राप्त होना चाहिए।

   इस प्रकार से नियुक्त प्रतिनिधि को बैठक में बोलने का अधिकार नहीं होगा।

   बैंक के पास जमा किया गया प्रतिनिधि प्रपत्र अपरिवर्तनीय एवं अंतिम होगा।

   यदि प्रतिनिधि प्रपत्र वैकल्पिक रूप से दो अनुदानग्राहियों के पक्ष में मंजूर किया जाता है तो इसके लिए एक ही फार्म निष्पादित किया जाएगा।

   बैंक विनियम के विनियमन 62(vi) के अनुसार प्रतिनिधि के लिखत के अनुदानदाता को बैठक में व्यक्तिगत रूप में वोट देने का हक नहीं होगा।

   बैंक का कोई अधिकारी/कर्मचारी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं होगा।

3. **प्राधिकृत प्रतिनिधियों की नियुक्ति**

   बैंक विनियम के विनियम 61(i) के अनुसार यथास्थिति केन्द्रीय सरकार अथवा कंपनी शेयरधारक संकल्प द्वारा अपने किसी प्राधिकारी को अथवा किसी व्यक्ति को बैठक में अपना प्रतिनिधि प्राधिकृत करता है तो वह प्राधिकृत व्यक्ति उस केन्द्रीय सरकार या कंपनी की ओर से उस अधिकार का प्रयोग करने का हकदार होगा जिसका वह प्रतिनिधि है, मानो यदि वह बैंक का वैयक्तिक शेयरधारक हो।

   उक्त प्रकार से दिया गया प्राधिकार वैकल्पिक रूप में दो व्यक्तियों के पक्ष में हो सकता है तथा उस स्थिति में उनमें से कोई एक व्यक्ति केन्द्रीय सरकार अथवा कंपनी के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर सकता है ।

   बैंक विनियम के विनियमन 61(ii) के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी बैठक में कंपनी के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में तब तक भाग नहीं लेगा अथवा वोट नहीं देगा जबतक कि उसे विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने के संकल्प की एक सत्य प्रतिलिपि उस बैठक, जिसमें वह पारित किया गया था, के अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रमाणित करके बैंक के **शेयर विभाग एवं निवेशक शिकायत कक्ष**, प्रधान कार्यालय, चौथा तल, 11 हेमन्त बसु सरणी, कोलकाता-700001 में बैठक की तारीख से कम से कम चार कार्यदिवस पहले अर्थात् **गुरुवार, 20 जून, 2019** को कारोबार समय की समाप्ति से पहले जमा न की गई हो।

   बैंक का कोई अधिकारी अथवा कर्मचारी प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं होगा।

4. **उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पत्र**

   शेयरधारकों की सुविधा हेतु वार्षिक रिपोर्ट में उपस्थित पर्ची सह प्रवेश पत्र संलग्न है। शेयर धारकों/प्रतिनिधि धारक/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध किया जाता है कि इसे भरें तथा हस्ताक्षर हेतु दिए गए स्थान पर अपना हस्ताक्षर करके बैठक के स्थान पर इसे सौंप दें। शेयरधारकों के प्रतिनिधि/प्राधिकृत प्रतिनिधियों को अपने उपस्थिति सह प्रवेश पत्र पर प्रतिनिधि अथवा प्राधिकृत प्रतिनिधि जो भी स्थिति हो, का उल्लेख करना है।

5. **शेयरधारकों के रजिस्टर को बंद करना**

   बैंक विनियम के विनियम 12 के प्रावधान के अनुसार बैंक की वार्षिक आम बैठक के संबंध में **शुक्रवार, 21 जून, 2019** से **गुरुवार, 27 जून, 2019** तक **(दोनों दिवस समेत)** शेयरधारकों के रजिस्टर और बैंक का अंतरण बही बंद रखा जाएगा।

6. शेयरधारकों से अनुरोध

6.1 तुलन पत्र की प्रतियां

शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे अपनी वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां अपने साथ लाएं, जो उनके पंजीकृत पते पर भेजी गई है। वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां बैठक स्थल पर वितरित नहीं की जाएंगी।

6.2 शेयरों का अमूर्तीकरण

जिन शेयरधारकों ने अपने शेयरों को प्रत्यक्ष रुप से धारित किया है, उनसे शेयरों के अमूर्तीकरण के लिए अनुरोध किया जाता है।

6.3 खातों की सूचना

खातों के संबंध में सूचना/स्पष्टीकरण मांगने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे वार्षिक आम बैठक से कम से कम 4 दिन पहले बैंक को लिखें ताकि बैंक उनकी सूचनाओं को तैयार रख सके।

6.4 फोलियों का समेकन

जिन शेयरधारकों के नामों के समान क्रम में एक जैसे नामों या संयुक्त नामों में बहुफोलियो में प्रत्यक्ष रुप में शेयरों को धारित किया है उनसे अनुरोध है कि अपने शेयर प्रमाणपत्रों को बैंक के शेयर अंतरण एजेंट, मेसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लि. को एक फोलियो में समेकन हेतु भेजें।

6.5 पता परिवर्तन को अधिसूचित करना

शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे अपने पता या बैंक खाते के विवरण में हुए कोई परिवर्तन को अधिसूचित करें

क. इलेक्ट्रानिक रूप में धारित किए गए शेयरों के संबंध में संबंधित डिपॉजिटरी सहभागियों को;

ख. प्रत्यक्ष रूप में धारित किए गए शेयरों के संबंध में रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट को निम्नलिखित पते पर -

मेसर्स लिंक इनटाइम इंडिया (प्रा.) लिमिटेड
(इकाई - युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया)
59 सी, चौरंगी रोड, 3रा तल,
कोलकाता-700020

6.6 स्थिति परिवर्तन की रिकार्डिंग

गैर निवासी शेयरधारकों से अनुरोध है कि निम्नलिखित में परिवर्तन होने पर रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट, मेसर्स लिंक इनटाइम इंडिया (प्रा.) लि. को तत्काल सूचित करें

क. भारत वापस आने पर उनकी आवासीय स्थिति।

ख. बैंक का पूरा नाम, बैंक शाखा, खाता का प्रकार, खाता सं. एमआईसीआर कोड, आईएफएस कोड, पिन सहित बैंक का पता समेत भारत में बैंक खाता का विवरण प्रस्तुत करें, यदि पहले प्रस्तुत नहीं किया गया हो।

6.7 दावारहित लाभांश, यदि कोई हो

बैंकिंग कंपनी (अधिग्रहण एवं उपक्रमों का अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10बी के अनुसार यदि लाभांश की राशि सात वर्ष की अवधि तक अप्रदत्त या दावारहित है तो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 125 के तहत उसे केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित इन्वेस्टर एडुकेशन एंड प्रोटेक्सन फंड (आईईपीएफ) में अंतरित करना अपेक्षित है। तदनुसार बैंक ने वित्तीय वर्ष 2010-11 से संबंधित दावारहित एवं अप्रदत्त लाभांश राशि को 01 अक्टूबर, 2018 को इन्वेस्टर एडुकेशन एंड प्रोटेक्सन फंड (आईईपीएफ) में अंतरित किया था। युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया वित्तीय वर्ष 2011-12 से संबंधित अप्रदत्त लाभांश खाता में वित्तीय वर्ष 2011-12 से संबंधित दावारहित/ अप्रदत्त लाभांश को बैंक 4 अगस्त, 2019 को या पहले अर्थात निधि में जमा करने की अवधि के 30 दिन के अंतर्गत इन्वेस्टर एडुकेशन एंड प्रोटेक्सन निधि में अंतरित करेगा। जिन शेयरधारकों ने अभी तक अप्रदत्त/दावारहित लाभांश खाता में पड़े हुए लाभांश हेतु दावा नहीं किया है तो उनसे अनुरोध है कि वे तत्काल रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट से संपर्क करें।

7. अदावी शेयर

01.04.18 को	वर्ष के दौरान अंतरित शेयर	31.03.2019 को उचंत खाते में शेष राशि
4762	शून्य	4762

अदावी/बकाया शेयरों के संबंध में मतदान अधिकार कानूनी हकदारों द्वारा दावा किये जाने तक अवरुद्ध रहेगा।
बैंक ने शेयरधारकों के सुलभ संदर्भ हेतु अदावी शेयरों का ब्यौरा वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है।

8. अमूर्तीकृत (डीमैट) रूप में बैंक के शेयरों का अनिवार्य व्यापार

बैंक के शेयरों का आवंटन और कारोबार (विक्रय) अनिवार्यतः शेयर बाजार में केवल अमूर्तीकृत रूप में ही किया जाएगा।

बैंक ने अपने शेयरों के अमूर्तीकरण के लिए जारीकर्ता कंपनी के रूप में नेशनल सिक्यूरिटीज डिपॉजिटरी लि.(एनएसडीएल) और सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लि. (सीएसडीएल) के साथ एक करार किया है।

अमूर्तीकरण के लिए अनुरोध संबंधित डिपॉजिटरी सहभागियों के जरिए हमारे रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट अर्थात् **मेसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लि.** को भेजा जा सकता है।

9. लाभांश

बैंक को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई के तहत रखा गया है, वित्तीय वर्ष के लिए बैंक द्वारा रिपोर्ट की गई शुद्ध हानि, और बैंक की लाभांश वितरण नीति के अनुसार, बैंक के निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए लाभांश की सिफारिश नहीं की है।

10. शेयरधारकों की पूछताछ

यह सराहनीय होगा यदि शेयरधारक अपने किसी भी प्रश्न, यदि कोई हो तो, उसे पर्याप्त समय रहते भेज दें, ताकि बैंक को इसका प्रभावी उत्तर देने में सुविधा होगी। पूछताछ निम्नलिखित पते पर की जा सकती है।

शेयर विभाग व निवेशक शिकायत कक्ष,

युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया,
प्रधान कार्यालय, चौथा तल
11 हेमन्त बसु सरणी,
कोलकाता-700001
अथवा ईमेल - **investors@unitedbank.co.in**

11. मताधिकार

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 3(2ई) के प्रावधानों के अनुसरण में केंद्र सरकार को छोड़कर कोई शेयरधारक, बैंक के समस्त शेयरधारकों के कुल मताधिकार के 10% से अधिक के अपने/उसके किसी भी शेयर के संबंध में मतदान करने का हकदार नहीं होगा।

बैंक विनियम के विनियम 10 के अनुसार, यदि कोई शेयर दो या अधिक व्यक्तियों के नाम से जारी हो तो मतदान के संबंध में पंजीकृत किए गए पहले व्यक्ति को एकमात्र धारक के रूप में माना जाएगा। इस प्रकार यदि शेयरों को संयुक्तधारकों के नाम से जारी किया गया हो तो केवल पहला व्यक्ति ही बैठक और कार्यसूची मद पर या तो दूरस्थ ईवोटिंग के माध्यम से या बैठक में मतदान करने का हकदार होगा।

12. ई-मतदान

बैंक सेंट्रल डिपॉजिटॉरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के माध्यम से सेबी सूचीकरण विनियम 44 के अनुसार सभी शेयरधारकों के लिए रिमोट ई मतदान की सुविधा प्रदान करेगी ताकि गुरुवार, 27 जून, 2019 आयोजित होने वाली 10वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना में उल्लिखित कार्यसूची मदों के अनुसार इलेक्ट्रानिक रूप से मतदान करने हेतु सक्षम किया जा सके।

रिमोट ई मतदान वैकल्पिक है। रिमोट ईमतदान के अतिरिक्त शेयरधारकों को बैठक के स्थान पर मतदान करने का विकल्प दिया जाएगा। रिमोट ई मतदान द्वारा अपना मतदान करने वाले शेयरधारकगण बैठक में उपस्थित हो सकते हैं लेकिन वहां उन्हें अपना मतदान करने का हकदार नहीं होगा।

बैंक ने मेसर्स एस.एन. अनन्तसुब्रमनियन और कंपनी, कंपनी सचिव को बैठक की स्थान पर रिमोट ईमतदान प्रक्रिया तथा वोटिंग को निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से संचालित करने हेतु संविक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

शेयरधारक/लाभार्थी स्वामियों के द्वारा धारित इक्विटी शेयर मामले में रिमोट ई वोटिंग एवं बैठक में वोटिंग का वोटिंग अधिकार गुरुवार, 20 जून 2019 **(निर्धारित तिथि)** मानी जाएगी।

रिमोट ईमतदान की अवधि **सोमवार, 24 जून, 2019 को 10.00 बजे (आईएसटी)** से आरंभ होकर **बुधवार, 26 जून, 2019 को सायं 17.00 बजे (आईएसटी)** समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान बैंक के शेयरधारकों, जिन्होंने निर्धारित तिथि तक भौतिक रूप में या अमूर्तीकृत रूप में शेयरों को धारित किया है, वे इलेक्ट्रानिक तरीके से अपना मतदान कर सकते हैं। उसके बाद मतदान के लिए सीडीएसएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को अक्षम कर दिया जाएगा।

इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान करने हेतु शेयरधारकों के लिए अनुदेश निम्नलिखित हैं

(i) ई-मतदान की वेबसाइट www.evotingindia.com

(ii) **"शेयरहोल्डर्स/मेम्बर्स"** पर क्लिक करें।

(iii) अपना यूजर आईडी दर्ज करें।

क. सीडीसीएल के लिए - 16 अंको का बेनिफिसियरी आईडी

ख. एनएसड़ीएल के लिए - 8 अंको के क्लाइंट आईडी के बाद 8 अक्षर डीपी आईडी

ग. भौतिक रूप में शेयर धारक सदस्य बैंक द्वारा पंजीकृत फोलियो नं. दर्ज करें।

(iv) यथा पर्दर्शित **इमेज वेरीफिकेशन** को दर्ज करें और **"लॉगिन"** पर क्लिक करें ।

(v) यदि आप डीमैट के रूप में शेयर धारक है तथा अपने www.evotingindia.com पर लॉगिन करके हाल ही में किसी भी कंपनी/संस्था के लिए मतदान किया था, तो आपके मौजूदा पासवर्ड का उपयोग किया जा सकता है।

(vi) यदि आप प्रथम उपयोगकर्ता हैं तो निम्नलिखित निदेशों का पालन करें

निम्नलिखित विवरणों को उचित रूप से भरें

डीमैट रूप और भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों के लिए

पैन	आयकर विभाग द्वारा जारी किए गए अपने 10 अंको का अल्फा न्यूमेरिक पैन की प्रविष्टि करें (डीमेट शेयरधारकों के साथ भौतिक रूप में शेयरधारकों दोनों के लिए लागू) • जिन सदस्यों ने बैंक/डिपोजिटरी पार्टिसिपेन्ट के साथ अपने पैन को अद्यतन नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे **अपने नाम के पहले दो अक्षरों का उपयोग करें और पैन फिल्ड में 8 अंकों के क्रमानुसार संख्या का उपयोग करें।** • **क्रमानुसार संख्या के 8 अंकों से कम होने के मामले में 0 के लागू नम्बर को संख्या के पहले बड़े अक्षरों में नाम के पहले दो अक्षरों के बाद दर्ज करें।** अर्थात यदि आपका नाम क्रम संख्या 1 के साथ रमेश कुमार है तो पैन फिल्ड में आरए00000001 प्रविष्ट करें।
लाभांश बैंक विवरण या जन्मतिथि	लॉगिन करने के क्रम में आपके डीमैट खाते में रिकार्ड किए गए **लाभांश बैंक विवरण या जन्मतिथि** (दिन/माह/वर्ष प्रारुप) की प्रविष्टि करें। • यदि दोनों विवरण डिपाजिटरी या बैंक के साथ रिकॉर्ड नहीं किया हुआ है, तो अपनी सदस्यता आईडी/फोलियों सं. अनुदेश (iii) के अनुसार लाभांश बैंक विवरण फिल्ड में प्रविष्टि करें।

(vii) उचित रूप से इन ब्योरों को भरने के बाद **"सबमिट"** पर क्लिक करें।

(viii) भौतिक रूप से शेयर रखने वाले सदस्य सीधे कंपनी चयनित स्क्रीन पर पहुंच जाएंगे। हालांकि, डीमैट फॉर्म में शेयर रखने वाले सदस्य अब **"पासवर्ड क्रियेसन मेन्यू"** तक पहुंच जाएंगे जिसमें उन्हें अनिवार्य रूप में नये पासवर्ड क्षेत्र में अपना लॉगिन पासवर्ड प्रविष्टि

करने की आवश्यकता होगी। कृपया ध्यान दें कि इस पासवर्ड से डीमैट धारक मतदान करने के पात्र हैं, जिसपर किसी भी अन्य कंपनी का संकल्प (ओं) के लिए मतदान के लिए प्रयोग किया जाता है बशर्ते कि कंपनी/संस्था सीडीएसएल प्लेटफार्म के माध्यम से ई-मतदान के विकल्प प्रदान करता हो। यह दृढ़ता से अनुशंसा की जाती है कि किसी अन्य व्यक्ति के साथ अपने पासवर्ड की साझेदारी नहीं करें और अपना पासवर्ड गोपनीय रखने का भरसक प्रयास करें।

(ix) भौतिक रुप से शेयर धारण करने वाले सदस्यों के लिए, विवरण का उपयोग केवल इस सूचना में शामिल संकल्पों पर ईमतदान के लिए किया जा सकता है।

(x) युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के लिए वोट करने हेतु **ईवीएसएन** पर क्लिक करें ।

(xi) मतदान पृष्ठ पर, आप **"रिजोल्यूसन विवरण"** देखेंगे और उसी के एवज में मतदान के लिए **"हाँ/नहीं"** विकल्प होगा। विकल्प हाँ या नहीं का चयन करें। विकल्प **हाँ** का तात्पर्य रिजोल्यूसन पर आप की सहमति और विकल्प **नहीं** का तात्पर्य रिजोल्यूसन पर आप की असहमति से है।

(xii) यदि आप पूरे रिजोल्यूसन ब्योरा को देखना चाहते हैं तो **"रिजोल्यूसन फ़ाइल लिंक"** पर क्लिक करें ।

(xiii) रिजोल्यूसन का चयन करने के बाद, आपने वोट करने का फैसला किया है, तो **"सबमिट"** पर क्लिक करें। एक पुष्टि बॉक्स प्रदर्शित किया जाएगा। यदि आप अपने वोट की पुष्टि करना चाहते हैं, तो **"ओके"** पर क्लिक करें और अपने वोट को बदलने के लिए, **"कैंसल"** पर क्लिक करें और तदनुसार अपने वोट को संशोधित करें।

(xiv) रिजोल्यूसन पर एक बार आप अपना वोट **"कॉनर्फम"** कर देते हैं, तो आपको अपने वोट को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(xv) वोटिंग पृष्ठ को **"क्लिक हियर टू प्रिंट"** विकल्प पर क्लिक करके, आप अपने द्वारा किये गये मतदान का प्रिंट आउट ले सकते हैं ।

(xvi) यदि डीमैट खाताधारक अपना पासवर्ड भूल गए हों तो वे अपना यूजर आईडी और इमेज वेरीफिकेशन कोड दर्ज करें और **"फोर्गेट पासवर्ड"** पर क्लिक करके प्रणाली द्वारा मांगी गयी विवरण दर्ज करें ।

(xvii) लॉगिन पर करेक्ट पासवर्ड का पांच असफल प्रयास ईवोटिंग वेबसाइट को अक्षम कर देगा। ऐसी स्थिति में, आपको इसे रीसेट करने के लिए वेबसाइट पर उपलब्ध फोर्गेट पासवर्ड विकल्प पर जाने की आवश्यकता होगी।

(xviii) जिसमें आप शेयरधारक है, कंपनियों/संस्थाओं द्वारा रखे गए रिज़ॉल्यूशन (एस) पर ई-वोटिंग के लिए विशेष रूप से अपका लॉगिन आईडी और मौजूदा पासवर्ड का उपयोग किया जा सकता है।

(xix) सदस्यगण सीडीएलएस के मोबाइल ऐप्प **"एमवोटिंग"** का उपयोग करके भी अपना मतदान कर सकते हैं। एमवोटिंग ऐप्प को गूगल प्ले स्टोर, ऐप्प स्टोर, एन्ड्रायेड के लिए विंडोज फोन स्टोर, आईओएस से विंडोज उपयोगकर्ताओं द्वारा क्रमशः डाउनलोड किया जा सकता है ।

(xx) **गैरव्यक्तिगत सदस्यों और संरक्षकों के लिए नोट**

- गैरव्यक्तिगत सदस्यगण (अर्थात - अन्य व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा) और संरक्षक www.evotingindia.com पर लॉगिन करके खुद को कॉर्पोरेट के रूप में पंजीकृत करेंगे।
- इकाई द्वारा अपनी मोहर और हस्ताक्षरित पंजीकरण फार्म की स्कैन की हुई प्रति को **helpdesk.evoting@cdslindia.com** पर ई-मेल किया जाना चाहिए।
- लॉगिन ब्योरा प्राप्त होने के बाद, प्रशासनिक लॉगिन और पासवर्ड का उपयोग करते हुए एक अनुपालन उपयोगकर्ता बनाया जाएगा। अनुपालन उपयोगकर्ता खाता (ओं) को लिंक करने में सक्षम होंगे, जिसपर वे वोट देना चाहते हैं।
- खातों की सूची **helpdesk.evoting@cdslindia.com** मेल की जाएगी और खातों के अनुमोदन होने पर वे अपने वोट देने में सक्षम हो जाएंगे ।
- संरक्षक के पक्ष में जारी किए गए की बोर्ड संकल्प और पॉवर अटार्नी (पीओए) की स्कैन प्रति, यदि कोई हो, तो इसे प्रणाली में सत्यापित करने के लिए पीडीएफ प्रारूप में अपलोड किया जाना चाहिए।

(xxi) यदि आपके पास कोई प्रश्न है या ई-वोटिंग से संबंधित कोई मुद्दा है तो, आप www.evotingindia.com पर हेल्प खंड के तहत उपलब्ध सामान्यतः एफएक्यू पर और ईवोटिंग मैनुअल उपयोगकर्ता का संदर्भ ले सकते हैं या आप सीडीएसएल **ई-वोटिंग हेल्पडेस्क**